राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 21/2017

कन्या बाई पत्नि रमेशचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां

....... प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. द्वारका बाई पुत्री श्री भंवरलाल पत्नि रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम हरसोली तह0 मांगरोल हाल निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल
2. मनोहरलाल पुत्र बलराम जाति मीणा निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां
3. गुड्डी बाई पुत्री बलराम पत्नि ओम प्रकाश जाति मीणा निवासी हरसोली तहसील मांगरोल हाल निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
4. मूली बाई बेवा बलराम जाति मीणा निवासी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां
5. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शांखा बारां
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट**

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री दया कृष्ण धाकड
दायर दिनांक–20.07.2017

निर्णय दिनांक : 21.06.2018

प्रास्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हरसोली तह0 मांगरोल में खसरा नं0 64 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 70 रकबा 0.13 है0 खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 खसरा नं0 135 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 363 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 रकबा 2.75 है0 भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीया कम 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। जिसमें अप्रार्थीया कम 1 का 1/2 हिस्सा है। नकल जमांदी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल सं0 2072 से 2075 में यह स्थिति है। मौखिक बंटवाने के हिसाब से अप्रार्थीया कम 1 के हिस्से में 1.38 है0 भूमि आयी है जिसमें उसके हिस्से में खसरा नं0 70 रकबा 0.13 है0 एवं खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि आयी है, अप्रार्थिया कम 1 को रूपयो की आवश्यकता होने के कारण उसके अपने हिस्से आयी हुयी 1/2 हिस्से में से 9/10 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते का 9/20 वां हिस्सा रकबा 1.23 है0 भूमि रू0 500000 अक्षरे पांच लाख रूपयें में प्रार्थिया को बेचान की तथा इस 1.23 है0 में से खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि प्रार्थिया को संभला दी तथा तथा यह कहां कि यह भूमि मेरे हिस्से की है तथा तुम इसे काश्त करों तथा इसका एक रजिस्टर्ड

[illegible] दिनांक 01.07.2010 को उपपंजियक मांगरोल के यहां पंजीयन करवाया। प्रार्थिया तभी से 1.20 भूमि को काश्त करती चली आ रही है। जो आज तक निरन्तर चली आ रही हैं उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने बैंक ऑफ बडौदा से गलत तथ्य ऋण स्वीकृत करवा लिया एवं उक्त आराजी की राजस्व जमाबंदी में बैंक का रहन नोट लगवा दिया। जबकि रहन की रकम वादिया ने प्राप्त नही की है। केवल मात्र अप्रार्थीगण ने प्राप्त की है। इस कारण रकम जमा करवाने की जिम्मेदारी भी अप्रार्थीगण की ही है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर स्वीकृत ऋण को जमां नही करवा रहे है तथा वादग्रस्त भूमि को दीगर जगह रहन बेचान करना चाहते है। जिसका उनको कोई हक व अधिकार हांसिल नही है एवं जबरन काश्त करना चाहते है। अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम हरसोली तह0 मांगरोल की आराजी खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि पर प्रार्थीया/वादनी को शांतिपूर्वक काश्त करता रहने देवे, प्रार्थिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। साथ ही अप्रार्थीगण विवादित खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 भूमि को कहीं रहन बैचान ना करें।

उक्त आशय की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 20.07.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामिली प्रति शामिल फाईल है। बावजूद सूचना अप्रार्थीगण आज दिनांक तक अनुपस्थित है अतः अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 को एक्स पौंर्टी करते हुए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। चूकि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 से ग्राम हरसोली की आराजी खसरा नं0 64 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 70 रकबा 0.13 है0 खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 खसरा नं0 135 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 363 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 रकबा 2.75 है0 में से उसका हिस्सा 1/2 में से 9/10 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2010 को क्रय किया है एवं उक्त दिनांक से अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा संभलायी गयी आराजी खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 पर काबिज हो कर काश्त करती चली आ रही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 को ता फैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम हरसोली तह0 मांगरोल की आराजी खसरा नं0 81 रकबा 1.20 है0 में प्रार्थीया कन्या बाई पत्नि रमेशचन्द्र जाति मीणा को शांति पूर्वक काश्त करने देवे व उक्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द ना करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बमोरीकलां